न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय, न्यायालय संख्या-02, बुलन्दशहर।

पीठासीन अधिकारीः मनोज कुमार शासन, **एच.जे.एस.**

जे.ओ. कोड – यू.पी. 1833

सत्र परीक्षण संख्या- 514 सन 2019

राज्य ....**अभियोजन।**

बनाम

1. सरूप पुत्र गंगाशरण,
2. राकेश कुमार पुत्र सरूप सिंह,
   निवासीगण ढकरौली, थाना खानपुर, जिला बुलन्दशहर।

..................**अभियुक्तगण।**

मुकदमा अपराध संख्या- 513 सन 2019
धारा- 363, 366, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता
थाना- कोतवाली नगर, **जिला-** बुलन्दशहर।

निर्णय

1. अभियुक्तगण सरूप व राकेश के विरूद्ध पुलिस थाना कोतवाली नगर, जिला बुलन्दशहर द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 513 सन 2019, धारा- 363, 366, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत आरोप पत्र प्रदर्श क-10, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर के न्यायालय में प्रेषित किया गया, जिस पर विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 07.09.2019 को प्रसंज्ञान लेकर प्रकरण सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने के कारण दिनांक 01.10.2019 को सत्र सुपुर्द किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में मामला सत्र परीक्षण संख्या 514 सन 2019 के रूप में पंजीकृत हुआ, जो अंतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। तत्क्रम में अभियुक्तगण का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया गया।

2. भारतीय दण्ड संहिता की धारा-228(क) में उल्लिखित उपबंध के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नगत मामले में पीड़िता को उसके नाम के स्थान पर "पीड़िता" शब्द से सम्बोधित किया जाएगा।

3. अभियोजन कथानक के अनुसार प्रस्तुत प्रकरण के वादी मुकदमा द्वारा एक हस्तलिखित तहरीर प्रदर्श क-1, थाना कोतवाली नगर, बुलन्दशहर मे इस आशय की प्रस्तुत की गयी किः-

"आपको अवगत कराना है कि प्रार्थी देवेन्द्र कुमार पुत्र नत्थी सिह निवासी ग्राम ढकरौली थाना खानपुर हाल निवासी 9/30 मंगल भवन शिवपुरी बुलन्दशहर का निवासी है। प्रार्थी यहाँ पर रहकर फोटो एडीटींग का कार्य करता है। प्रार्थी के साथ प्रार्थी के परिवार के सदस्य दो बेटा व दो बेटी भी साथ में रहती है कल दिनांक 20.06.2019 को

Manoj Kumar Shasan
Addl. Sessions Judge/FTC-II, Bulandshahar.

Digitally signed by MANOJ KUMAR SHASAN
Date: 2026.07.15 14:30:50 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

समय करीब 1.30 बजे प्रार्थी व उसका परिवार अपने कार्य में व्यस्त था और छोटी बेटी राधा कपडे धो रही थी तो कुछ देर बाद देखा की वह कपडा नहीं धो रही है। प्रार्थी व उसके परिवार ने राधा को इधर-उधर बहुत तलाश किया परन्तु उसका कोई पता नहीं चला कल से अब तक उसे बहुत तलाश करने के बाद पता चल पाया है। कि मेरी बेटी राधा को मेरे गांव का ही राकेश कुमार पुत्र श्री सरूप सिंह निवासी ग्राम ढकरौली थाना- खानपुर बहला फुसला कर ले गया है। मेरी बेटी नाबालिग है। उसकी उम्र करीब 16 वर्ष है। पूर्व में भी इस लडके द्वारा मेरी बेटी के खिलाफ भगाने की साजीश की गयी थी मगर पता लग जाने पर इस लडके राकेश को डॉट फटकार कर इसके घर वालो को अवगत करा दिया था अब यह लडका जब से लडकी को लेकर गया जब से ही इसके दोनो मोबाईल न० क्रमशः: (8650783012 व 9368825126) बन्द है मुझे अंदेशा है की यह लडका मेरी नाबालिंग लडकी के साथ कुछ गलत ना कर दे। अतः श्रीमान जी आपके थाना कोतवाली बु० शहर पर आया है रिपोर्ट लिख कर कानूनी कार्यवाही की कृपा करें।"

4. उक्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर, जिला बुलन्दशहर पर चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क-4, मुकदमा अपराध संख्या 513 सन 2019, धारा 363, 366 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अभियुक्त राकेश कुमार के विरूद्ध दिनांक 22.06.2019 को समय 01.38 बजे पंजीकृत कर किता की गयी तथा मुकदमे का खुलासा कायमी जी.डी. संख्या 03 प्रदर्श क-5 मे किया गया। प्रकरण की विवेचना उपनिरीक्षक संजीव कुमार के सुपुर्द की गयी। विवेचना अमल मे लाई गयी तथा प्रकरण की पीडिता, तथ्य के साक्षीगण एवं औपचारिक साक्षियों के बयान केस डायरी में अंकित किये। घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी प्रदर्श क-6 तैयार किया गया। दिनांक 20.07.2019 को फर्द बरामदगी पीडिता प्रदर्श क-7 एवं सुपुर्दगीनामा पीडिता प्रदर्श क-8 तैयार किये गये तथा विवेचना पूर्ण करने के पश्चात संकलित साक्ष्य के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 513 सन 2019 मे अभियुक्त राकेश के विरूद्ध धारा 363, 366 भारतीय दण्ड संहिता एवं अभियुक्त सरूप के विरूद्ध धारा 363, 366, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता में आरोप पत्र प्रदर्श क-10 न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

5. आरोप पत्र न्यायालय में प्राप्त होने पर अभियुक्तगण को तलब किया गया। अभियुक्तगण के न्यायालय में उपस्थित आने पर दिनांक 05.10.2020 को अभियुक्त राकेश कुमार के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा 363, 366 भारतीय दण्ड संहिता एवं अभियुक्त सरूप के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा 363, 366, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता विरचित किये गये। अभियुक्तगण द्वारा आरोप से इन्कार किया गया और विचारण की मांग की गयी, फलस्वरूप अभियोजन साक्ष्य आहूत किया गया।

6. अभियोजन पक्ष द्वारा मौखिक साक्ष्य के अन्तर्गत निम्न साक्षीगण को परीक्षित कराया गया हैः-

1.	वादी मुकदमा देवेन्द्र कुमार	पी.डब्लू.01
2.	पीडिता	पी.डब्लू.02
3.	डॉ० शिवानी सिंघल	पी.डब्लू.03

Manoj Kumar Shasan
Addl. Sessions Judge/FTC-II, Bulandshahar.

4.	हैड कां० 1883 सुनील कुमार	पी.डब्लू.04
5.	गजेन्द्र सिंह	पी.डब्लू.05
6.	निरीक्षक संजीव कुमार	पी.डब्लू.06

7. अभियोजन द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित दस्तवेज साबित/प्रस्तुत कराये गये हैः-

क्र0 सं0	**कागजात**	**साबित किया**
1.	तहरीर	प्रदर्श क-1
2.	बयान पीडिता अन्तर्गत धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता	प्रदर्श क-2
3.	मेडिकोलीगल रिपोर्ट	प्रदर्श क-3
4.	चिक एफ.आई.आर.	प्रदर्श क-4
5.	कायमी जी.डी.	प्रदर्श क-5
6.	नक्शा नजरी	प्रदर्श क-6
7.	फर्द बरामदगी पीडिता	प्रदर्श क-7
8.	सुपुर्दगीनामा	प्रदर्श क-8
9.	प्रार्थना पत्र बावत सुपुर्दगी	प्रदर्श क-9
10.	आरोप पत्र	प्रदर्श क-10

8. अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के उपरान्त अभियुक्तगण के बयान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किये गये, जिसमे अभियुक्त द्वारा एक समान कथन करते हुये कहा गया है कि उनके विरूद्ध विरचित आरोप गलत हैं। साक्षीगण पी.डब्लू.01, 02, 03 व 05 द्वारा दिये गये साक्ष्य के सम्बन्ध मे कुछ नहीं कहना है। साक्षी पी.डब्लू.04 व 06 द्वारा दिये गये बयान गलत हैं। मुकदमा गांव की पार्टीबन्दी के कारण चलना बताया। प्रतिरक्षा साक्ष्य न देना स्वीकार किया और अंत मे कहा है कि वे निर्दोष हैं। गांव की पार्टीबन्दी के कारण झूठा फसाया गया है।

9. मेरे द्वारा सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज०) एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्कों की बहस को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का सम्यक परिशीलन किया।

विश्लेषण

10. अभियुक्तगण पर आरोप है कि दिनांक 20.06.2019 को वादी मुकदमा की नाबालिग पुत्री का व्यपहरण उसकी इच्छा के विरूद्ध विवाह करने या अयुक्त संभोग हेतु विवश करने के आशय से किया गया। अभियुक्त सरूप पर यह भी आरोप है कि उसने वादी मुकदमा की नाबालिग पुत्री का व्यपहरण करने हेतु आपराधिक षड्यन्त्र कारित किया। उक्त

आरोप को साबित करने का भार अभियोजन पर है। अभियुक्तगण के अधिवक्ता द्वारा बचाव हेतु तर्क प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विश्लेषण साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य मे किया जाना आवश्यक है।

11. अभियोजन की ओर से अपनी बहस मे यह कहा गया है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप साबित है। उनके द्वारा घटना कारित की गयी है। गवाहों ने घटना का समर्थन किया है। इस कारण सम्पूर्ण घटना साबित होती है। इसका उत्तर देते हुये अभियुक्तगण की ओर से कहा गया है कि उन्हे जानबूझकर उक्त प्रकरण मे झूठा फसाया गया है। उन्होने वादी मुकदमा की नाबालिग पुत्री का व्यपहरण नहीं किया है। गांव-मौहल्ले के व्यक्तियों ने साज करके झूठी रिपोर्ट अंकित कराते हुये अभियुक्तगण को प्रकरण मे झूठा नामित किया है। गवाहों ने घटना का समर्थन नहीं किया है। इस कारण अभियुक्तगण पर आरोप साबित नहीं होता है।

12. उभय पक्षों के उक्त तर्कों के परिप्रेक्ष्य मे उक्त प्रकरण मे अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्षियों के साक्ष्य का अवलोकन करने से यह प्रकट होता है कि प्रस्तुत वाद मे अभियोजन की ओर से तथ्य के 03 साक्षीगण परीक्षित कराये गये हैं। साक्षी पी.डब्लू.01 वादी मुकदमा द्वारा उक्त प्रकरण मे प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करायी गयी थी। इस साक्षी ने अपने साक्ष्य मे कहा है कि दिनांक 20.06.2019 को मैं अपने कार्य से बाहर गया हुआ था। पीडिता को मेरी पत्नी ने डांट दिया था, जिससे पीडिता नाराज होकर घर से बिना बताये दिल्ली बडे भाई के पास चली गयी थी। मैं जब शाम को घर वापस आया तो मेरी पत्नी ने बताया कि पीडिता को मैने डांट दिया था, जिस कारण वह बिना बताये कहीं चली गयी है। मैने पीडिता को काफी जगह तलाश किया, लेकिन जानकारी नहीं मिली। पीडिता को मेरे गांव का राकेश बहला-फुसला कर नहीं ले गया था। इस घटना की तहरीर गांव के लोगो के कहने पर लिखा दी थी। तहरीर को साक्षी ने साबित किया है। जिरह मे भी यह साक्षी अपनी मुख्य परीक्षा के समान ही कथन करते हुये यह स्वीकार करता है कि यह कहना गलत है कि पीडिता को मेरे गांव का राकेश बहला-फुसला कर भगा ले गया है। मेरा दरोगा जी ने कोई बयान घटना के सम्बन्ध मे नहीं लिया था। न्यायालय द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी यह कथन करता है कि गांव वालो ने मुझे बताया था कि राकेश पीडिता को ले गया है। पीडिता ने मुझे बताया था कि वह ताऊ जी के पास गयी थी। अभियुक्तगण द्वारा जिरह करने पर यह साक्षी कथन प्रस्तुत करता है कि इस केस की तहरीर मैने गांव वालो के बताये अनुसार राकेश का नाम लिखाते हुये दी थी। मुझे गांव वालो ने ही बताया था कि शायद पीडिता को राकेश ले गया है। इसी शक के आधार पर तहरीर दी थी। साक्षी यह भी स्वीकार करता है कि पीडिता के आने के बाद जब मुझे जानकारी हुई कि वह अपने ताऊ के पास दिल्ली गयी हुई थी, इस बावत मैं थाना गया था, लेकिन दरोगा जी ने कोई बयान नहीं लिया था। यदि इस साक्षी की सम्पूर्ण साक्ष्य का विश्लेषण किया जाये, तब यह तथ्य स्पष्ट होता है कि अभियुक्तगण द्वारा पीडिता का व्यपहरण नहीं किया गया था। पीडिता नाराज होकर अपने ताऊ के पास दिल्ली चली गयी थी। मात्र शक के आधार पर ही अभियुक्तगण का नाम लिखाया जाना यह साक्षी स्वीकार करता है। इस साक्षी के साक्ष्य से अभियुक्तगण की

घटना मे संलिप्तता साबित नहीं होती है। साक्षी पी.डब्लू.02 पीडिता है, जिसका साक्ष्य घटना के सम्बन्ध मे अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि घटना पीडिता के साथ घटित हुई है। इस कारण पीडिता ही कथित घटना कारित होने अथवा न होने के सम्बन्ध मे स्पष्ट कथन प्रस्तुत कर सकती है। पीडिता अपनी मुख्य्य परीक्षा साक्ष्य मे कथन करती है कि मैं दिनांक 20.06.2019 को अपनी मर्जी से राकेश के साथ चली गयी थी। राकेश मेरे ही गांव का रहने वाला है। घटना वाले दिन मेरी अपनी मम्मी के साथ कहन-सुनन हो गयी थी, इसलिये मैं अपने घर वालो से बिना कहे बुलन्दशहर रोडवेज बस स्टैण्ड पर अपने ताऊ के पास दिल्ली जाने के लिये इंतजार कर रही थी। तभी वहां मेरे गांव का पडौसी राकेश पुत्र सरूप सिंह भी दिल्ली जाने के लिये बस स्टैण्ड पर आया था। मैने उससे कहा कि मुझे मेरे ताऊ के यहां जहांगीरपुरी (दिल्ली) छोड़ देना। राकेश ने मुझे जहांगीरपुरी (दिल्ली) मेरे ताऊ के यहां छोड़ दिया। कुछ दिनो बाद मैं अपने ताऊ के यहां से अपने घर आयी, तो बुलन्दशहर मे फ्लाईओवर पर बस से उतरते ही मुझे पुलिस मिल गयी और मुझे अपने साथ थाने ले गयी। थाने जाकर मुझे जानकारी हुई कि मेरे पापा ने गांव वालो के कहने मे आकर रिपोर्ट लिखा दी थी। पीडिता यह भी स्वीकार करती है कि जब मैं दिल्ली गयी थी, तो राकेश ने मेरे साथ कोई गलत काम नहीं किया। अभियुक्तगण द्वारा जिरह करने पर आया है कि मैं घर मे अनबन होने के कारण घर मे बिना बताये अपने ताऊ जी के यहां जहांगीरपुरी (दिल्ली) जा रही थी। राकेश ने मुझे मेरे ताऊ के घर दिल्ली छोड़ दिया था। ताऊ जी के यहां जाने के बाद राकेश से मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई। मैं राकेश के साथ नहीं रही थी। यह बयान मैने मजिस्ट्रेट साहब को दिया था, यदि उन्होने नहीं लिखा तो मैं इसकी कोई वजह नहीं बता सकती। दरोगा जी को धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान मे राकेश के साथ किराये के मकान पर रहने वाली बात व शादी करने वाली बात नहीं बतायी थी, यदि दरोगा जी ने लिख दिया है तो मैं इसकी कोई वजह नहीं बता सकती। मेरे पापा ने गांव वालो के कहने पर राकेश के खिलाफ रिपोर्ट लिखा दी थी। मैं राकेश के साथ कभी नहीं रही। यदि पीडिता के साक्ष्य का विश्लेषण किया जाये, तब तथ्य स्पष्ट होता है कि अभियुक्त राकेश पीडिता को बहला-फुसला कर व्यपहरण कर नहीं ले गया था। पीडिता स्वयं अपनी इच्छा से अपने ताऊ के घर दिल्ली चली गयी थी। अभियुक्त राकेश ने पीडिता को उसके ताऊ के घर पर छोड़ दिया था। पीडिता यह भी स्वीकार करती है कि उसे थाने जाकर कथित घटना की जानकारी हुई थी। पीडिता राकेश के साथ नहीं रही। पीडिता को उसके ताऊ के घर सुरक्षित छोड़ने के आधार पर यह उपधारणा नहीं की जा सकती कि अभियुक्त द्वारा पीडिता का व्यपहरण किया गया है और अभियुक्तगण कथित घटना मे संलिप्त रहे। पीडिता द्वारा घर वापस आकर अपने परिजनो के सही तथ्यों से अवगत कराया गया था। इससे पीडिता के कथनो की सत्यता साबित होती है और यह भी स्पष्ट होता है कि पीडिता के अपने घर से चले जाने के सम्बन्ध मे अभियुक्तगण का कोई सहयोग नहीं है। साक्षी पी.डब्लू.05 गजेन्द्र सिंह गांव के व्यक्ति हैं तथा तथ्य के साक्षी हैं। इस साक्षी ने अपनी मुख्य्य परीक्षा साक्ष्य मे कथन प्रस्तुत किये हैं कि मैं व मदनलाल, देवेन्द्र कुमार के घर पर मिलने नहीं गये थे और न ही राकेश के पिता सरूप ने मुझसे कोई बात राधा के भगाने वाली बताई थी और मैने राकेश के द्वारा राधा को ले जाने

Manoj Kumar Shasan
Addl. Sessions Judge/FTC-II, Bulandshahar.

वाली बात किसी से नहीं सुनी थी, न मुझे इस घटना से सम्बन्धित कोई जानकारी है। अभियोजन द्वारा जिरह करने पर आया है कि उसने दरोगा जी को ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। दिनांक 20.06.2019 को मैं गांव मे मौजूद नहीं था। मुझे नहीं पता कि गांव के राकेश व सरूप द्वारा कोई घटना कारित की गयी। मैं बिना किसी लोभ-लालच व डर की वजह से स्वतन्त्र होकर अपनी गवाही दे रहा हूँ।

यदि प्रस्तुत प्रकरण मे तथ्य के तीनो साक्षीगण के साक्ष्य का परिशीलन किया जाये, तब यह निष्कर्ष निकलता है कि आपसी अनबन के कारण पीडिता स्वयं अपनी इच्छा से अपना घर छोड़ कर चली गयी थी। अभियुक्त राकेश मात्र उसे बस स्टैण्ड पर मिला था और गांव का व्यक्ति होने के नाते ही उसने पीडिता की सुरक्षा को ध्यान मे रखते हुये उसे उसके ताऊ के घर दिल्ली ले जाकर छोड़ दिया था, जहां पर वह कुछ दिन रूकी थी। तथ्य के किसी भी साक्षी ने अभियुक्तगण द्वारा पीडिता का व्यपहरण करना स्वीकार नहीं किया है। पीडिता की स्वयं की स्वीकारोक्ति इस ओर ध्यान आकर्षित करती है कि अभियुक्तगण घटना मे संलिप्त नहीं रहे हैं। मात्र शक के आधार पर अभियुक्तगण का घटना मे संलिप्त होना साक्षीगण स्वीकार करते हैं। अतः अभियुक्तगण के अधिवक्ता का उक्त तर्क कि अभियुक्तगण को प्रकरण मे झूठा नामजद कराया गया है, स्वीकार किये जाने योग्य है।

13. अभियोजन द्वारा अभियोजन प्रपत्रों की सत्यता को साबित कराने हेतु 03 साक्षीगण को परीक्षित कराया गया है। साक्षी पी.डब्लू.04 हैड कां० सुनील कुमार हैं। यह साक्षी मात्र प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराये जाने का साक्षी है। घटना घटित होने के सम्बन्ध मे इस साक्षी का साक्ष्य महत्वपूर्ण नहीं है। इस साक्षी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट व जी.डी. को साबित किया है। साक्षी पी.डब्लू.03 डॉ० शिवानी सिंघल हैं। इस साक्षी की मुख्य परीक्षा साक्ष्य मे आया है कि दिनांक 20.07.2019 को मैं के.एम.सी. बुलन्दशहर मे ई.एम.ओ. के पद पर तैनात थी। पीडिता ने अपनी अन्दरूनी व बाह्य जांच कराने से मना कर दिया था। गवाह ने मेडिकल रिपोर्ट को प्रदर्श क-3 के रूप मे साबित किया है। जिरह मे कथन प्रस्तुत करती हैं कि मैने पीडिता की आन्तरिक व बाह्य जांच नहीं की थी, क्योंकि पीडिता ने स्वेच्छिक रूप से मना कर दिया था। चिकित्सक के साक्ष्य से भी घटना के घटित होने की पुष्टि नहीं होती है। साक्षी पी.डब्लू.06 विवेचक संजीव कुमार हैं। यह साक्षी दिनांक 22.06.2019 को बतौर उपनिरीक्षक थाना कोतवाली नगर मे तैनात थे तथा प्रकरण की विवेचना साक्षी को सुपुर्द हुई थी। दौरान विवेचना साक्षी ने सी.डी. के पर्चों को किता किया है, नक्शा नजरी बनाया है। पीडिता की बरामदगी कर पीडिता को उसके परिजनो के सुपुर्द किया गया तथा फर्द बरामदगी व सुपुर्दगीनामा तैयार किये। पीडिता को मेडिकल परीक्षण हेतु चिकित्सालय भेजा तथा संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया है। जिरह मे साक्षी यह स्वीकार करता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट मे मात्र अभियुक्त राकेश कुमार का नाम था, सरूप का नहीं था। प्रकरण मे स्वयं पीडिता ही उसके साथ किसी भी तरह की घटना के घटित होने से इंकार करती है, इससे प्रकरण की विवेचना मे विवेचक द्वारा की गयी लापरवाही दर्शित होती है। पीडिता द्वारा यह भी कहा गया है कि उसने अभियुक्तगण द्वारा व्यपहरण करने के कथन नहीं किये हैं, किन्तु इसके उपरान्त भी

विवेचक द्वारा उक्त प्रकरण मे आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। मात्र आरोप पत्र प्रेषित किये जाने से यह अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता कि अभियुक्तगण घटना मे संलिप्त रहे हैं। तथ्य के किसी भी साक्षी द्वारा अभियुक्तगण का घटना मे संलिप्त रहना स्वीकार नहीं किया गया है। इस कारण अभियुक्तगण द्वारा घटना का कारित किया जाना साबित नहीं होता है। अभियोजन प्रपत्रों की औपचारिकता साबित होने मात्र से ही अभियुक्तगण का घटना मे संलिप्त होना साबित नहीं होता है।

14. इस प्रकार सम्पूर्ण तथ्यों के अवलोकन से अभियुक्तगण राकेश कुमार व सरूप द्वारा पीडिता के साथ घटना कारित करने का तथ्य संदेह से परे साबित नहीं होता है। स्वयं पीडिता द्वारा ही उसके साथ घटना घटित होने से इंकार किया गया है। इस कारण अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 363, 366, 120 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध साबित नहीं होता है। **निष्कर्षतः** अभियुक्त राकेश कुमार धारा 363, 366 भारतीय दण्ड संहिता व अभियुक्त सरूप धारा 363, 366, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता मे दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

सत्र परीक्षण संख्या 514/2019, मु0अ0सं0-513/2019, थाना कोतवाली नगर, जिला बुलन्दशहर के मामले में अभियुक्त राकेश कुमार को धारा-363, 366 भारतीय दण्ड संहिता एवं अभियुक्त सरूप को धारा 363, 366, 120 भारतीय दण्ड संहिता के अधीन दण्डनीय अपराध के लिए दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण उपरोक्त जमानत पर हैं, उनके जमानतनामें व बन्धपत्र निरस्त किये जाते है तथा उनके जमानतदारों को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त प्रत्येक को निर्देशित किया जाता है कि वह एक सप्ताह के भीतर धारा-437(क) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुपालन में 25,000/- (पच्चीस हजार रूपये) के व्यक्तिगत बन्धपत्र और इसी धनराशि की दो प्रतिभू इस आशय के प्रस्तुत करे कि यदि इस निर्णय के विरूद्ध कोई अपील की जाती है, तो वे अपील का नोटिस प्राप्त होने पर माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होंगे। उक्त बन्ध पत्र व जमानतें अग्रिम 06 माह तक प्रभावी रहेंगी। प्रस्तुत सत्र परीक्षण की पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः30.06.2026 **(मनोज कुमार शासन)**
अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय,
न्यायालय संख्या-02, बुलन्दशहर।

उक्त निर्णय आज खुले न्यायालय में दिनांकित व हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

दिनांकः30.06.2026 **(मनोज कुमार शासन)**
अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय,
न्यायालय संख्या-02, बुलन्दशहर।
जे.ओ. कोड़- यू.पी. 1833

Manoj Kumar Shasan
Addl. Sessions Judge/FTC-II, Bulandshahar.